कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी

E.Mail. dfouttarkashifd@gmail.com Fax No-01374222964 Tel.No- 01374222444

पत्रांक- 199 /12-1, कोटबंगला दिनांक 19/7/2021

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन सरंक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गंगनानी से भंगेली मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.316 है0 आरक्षित वन भूमि को गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड को प्रत्यावर्तन करने हेतु विधिवत स्वीकृति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :– कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी का पत्रांक–702/पी0एम0जी0एस0वाई0/सि0ख0 दिनांक 24.03.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक क्रम में अवगत कराना है, कि गंगनानी से भंगेली तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.316 है0 वन भूमि की सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तो की अनुपालन आख्या याचक विभाग द्वारा अपने उक्त संदर्भित पत्र से इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है, जो कि निम्नवत् है--

क्र. सं.	शर्तो/प्रतिबन्धों का विवरण	अनुपालन आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
2	परियोजना के लिये आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जायेगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
3	प्रतिपूरक वनीकरण:– (क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 2.632 है0 गैर वानिकी भूमि ग्राम ईंट गाव सिविल खसरा न0 2852 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। जहा तक व्यावहारिक हो स्थानीय स्वदेशी प्रजातियो को लगाया जाए तथा प्रजातियो की एकल प्लांटेशन से बचे। (ख) प्रस्तावित सम्पूर्ण 2.632 है0 सिविल सोयम क्षेत्र मे VDF/MDF पाया गया है। अत सी0ए0 हेतु Degraded वन क्षेत्र में 2.632 है0 क्षेत्र का चयन कर उसका विवरण भी इस कार्यालय मे प्रेषित करें। जहां MDF/ VDF के एवज में रोपण कार्य किया जायेगा। (ग) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं रूपांतरित किया जायेगा। भूमि के हस्तांतरण, नामांतरण एवं Notification करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। Guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों मे प्रस्तुत किये गये है, को वन विभाग के पक्ष मे हस्तांतरण एव नामांतरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/सरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	(क) इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा रू0 8,87,468.00 क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा **(संलग्नक–1)**। (ख) उक्त शर्त के अनुपालन में सी0ए0 हेतु इस वन प्रभाग के डुण्डा रेंज अन्तर्गत धनारी क0स0–3 में 2.632 है0 Degraded वन क्षेत्र चयनित किया गया है। जहां MDF/ VDF के एवज में रोपण कार्य किया जायेगा। क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन संलग्न है **(संलग्नक–2)**। (ग) इस शर्त के अनुपालन में गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किया जा चुका है। **(खतौनी की नकल तथा जिलाधिकारी, उत्तरकाशी की पत्र की छाया प्रति संलग्न–3 व 4)** उक्त सिविल सोयम भूमि को संरक्षित वन घोषित किये जाने हेतु अधिसूचना का ड्राफ्ट तैयार कर इस कार्यालय के पत्रांक 134/12–1, दिनांक 14.07.2021 के द्वारा वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त को प्रेषित किया जा चुका है **(संलग्नक–5)**।

Scanned with CamScanner

	(घ) वन मण्डल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नही किया गया है।	(घ) उक्त शर्त के अनुपालन में प्रमाण–पत्र संलग्न है (संलग्नक–6)।
4	शुद्ध वर्तमान मूल्यः– (क) इस सम्बन्ध में भारत के मा0 सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या: 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ.सी. (Pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशा–निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 1.350 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिये शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। (ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	(क) इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा रू0 8,64,612.00 NPV की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है (संलग्नक–1)। (ख) प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा तथा वचनवद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है (संलग्नक–7)।
5	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिसकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 122 Trees including 5 saplings से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेगें। प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ो की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
6	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in/) ई–पोर्टल के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किया जायेगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
7	The provision of the Bhagirathi eco sensitive zone notification and zonal master plan shall be complied strictly by the State Govt. and User Agency.	प्रयोक्ता एजेन्सी तथा राज्य सरकार द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित मोटर मार्ग समरेखण का EIA कराया जा चुका है जिसकी रिपोर्ट संलग्न कर प्रेषित है (संलग्नक–8)।
8	State Government will inform to this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before Stage-II approval as per guidelines para 11.2. The state Govt. will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.	उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
9	एफ0आर0ए0, 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।	उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
10	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों से निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाये जायेंगे।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जाएगा।
11	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्त्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगें।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त के अनुपालन में प्रमाण–पत्र संलग्न किया गया है (संलग्नक–9)।

Scanned with CamScanner

12	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव को ले–आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जाएगा।
13	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक सिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जाएगा।
14	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्त्रोत से प्राप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जाएगा।
15	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वनभूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जायेगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जाएगा।
16	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिये निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जाएगा।
17	इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ जो भी कम हो, लक्षित किया जायेगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जाएगा।
18	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जाएगा।
19	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जाएगा।
20	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा–निर्देश फाइल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जाएगा।
21	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जाएगा।
22	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वनिर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जायेंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जाएगा।
23	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद /नियम/ न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जाएगा।

Scanned with CamScanner

24	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in/) पर अपलोड की जायेगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त का नुपा किया जाएगा।

अतः अनुरोध है कि विषयगत प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वी निर्गत करवाने का कष्ट करें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(पुनीत तोमर)
प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग उत्तरकाशी

पत्रांक / तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी को इस निर्देश से प्रेषित उक्त अनुपालन आख्या को अपने स्तर से ऑनलाइन ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in/) अपलोड करना सुनिश्चित करें।

(पुनीत तोमर)
प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग उत्तरकाशी।

Scanned with CamScanner